

अपील संख्या : 17/372

3/8/22

वकील उभयपक्ष उपस्थित । अपीलाट के द्वारा उक्त अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश की है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: 1(17)राजस्व-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1958 से सम्बन्धित समस्त अपीलों का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी से माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त को स्थानान्तरित किया गया है। उक्त अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः मूल ही अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा को स्थानान्तरित की जाती है। पक्षकार दिनांक ~~25/8/22~~ को सम्बंधित न्यायालय में पेश हो।

  
( मनोज कुमार )

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा